"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 मार्च 2017—फाल्गुन 10, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–12/2017/वाक (आब)/पांच (08). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त राजस्व जिलों में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :–

छत्तीसगढ़ शासन के नियम
छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2017

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :– (एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **"छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2017" है।**

   (दो) यह नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें** :– जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरूद्ध न हो, इन नियमों में –

   (1) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, समय–समय पर यथा–संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)।

   (2) **'आबकारी वर्ष'** से अभिप्रेत है, एक अप्रैल से प्रारंभ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष।

   (3) **'प्रपत्र'** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र।

   (4) **'अनुज्ञापन प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है, जिले के कलेक्टर।

   (6) **सी.एस.एम.सी.एल.** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड।

   (7) **'लाइसेंस फीस'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के खण्ड (दो) के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से देशी/विदेशी मदिरा के बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिये

राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये लाईसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि।

3. **फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन :–**

(क) इन नियमों के अध्यधीन रहते हुए देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के लिये फुटकर दुकान/दुकानों का लायसेंस सी.एस.एम.सी.एल. (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये प्राधिकारी को प्रदत्त किया जायेगा।

(ख) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति, इन संशोधित नियमों के संलग्न प्रपत्र उपबन्ध (1) व (2) पर क्रमशः सी.एस. 2–(घघ) व एफ.एल. 1(घघ) में मंजूर किये जावेंगे।

4. **लाइसेंस की अवधि** :–लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके उस भाग, जिसके लिये लाइसेंस मंजूर किया गया है, के लिए होगी। लाइसेंस का नवीनीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये।

5. **आवेदन पत्र** :– सी.एस.एम.सी.एल. अथवा उसका अधिकृत प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (परिशिष्ट–1) एवं निर्धारित लायसेंस फीस रूपये 10000/– प्रति दुकान प्रति वर्ष एक मुश्त जमा कर आवेदन करेगा।

6. **लाइसेंस मंजूर करने के लिए प्रक्रिया :–**

अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर लायसेंस स्वीकृति करेगा।

7. **आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें :–**

(1) जिले के फूटकर दुकानों के अनुज्ञापन के लिए आवेदन हेतु सी.एस.एम.सी.एल. के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को उनके आवेदन पर लायसेंस प्रदान किया जाएगा।

(2) सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

8. **मदिरा का उठान :–**

(क) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर, संबंधित भाण्डागार से देशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर तथा विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से विदेशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर, अभिप्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा।

(ख) देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके पास परिवहन अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया गया है, परिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की तारीख तथा समय अभिलिखित करेगा और मांगी गई मदिरा की मात्रा का यथासंभव प्रदाय को सुनिश्चित करेगा।

(ग) **काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क)** :– डिस्टिलर के द्वारा प्रदाय किए जा रहे देशी मदिरा /विदेशी मदिरा के विनिर्माता इकाई द्वारा प्रदाय किए जा रहे मदिरा के कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अधिरोपित की गई है। उक्त ड्यूटी के प्रदाय के उपरांत ही मदिरा वेयरहाउस/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन गोदाम में प्रदाय की जा सकती है। प्रदायकर्त्ता द्वारा प्रदाय की गई मदिरा के परेषण के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक टूट–फूट पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) वापसी योग्य नहीं होगी।

(घ) **दिनांक 01–04–2017 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :–**

क्र.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	**देशी मदिरा :–** मसाला – 25.0 UP प्लेन – 50.0 UP रासी – 60.0 UP	रूपये 285/– प्रति प्रूफ लीटर
2.	**विदेशी मदिरा (स्प्रिट)** :– विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना **वर्ष 2017–18** में विदेशी मदिरा की कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) **प्रति पेटी** पर निम्नानुसार होगी :–	
	1. रूपये 800/– तक	रूपये 300/– प्रति प्रूफ लीटर
	2. रूपये 801/– से 1100/– तक	रूपये 430/– प्रति प्रूफ लीटर
	3. रूपये 1101/– से 1500/– तक	रूपये 500/– प्रति प्रूफ लीटर
	4. रूपये 1501/– से 2000/– तक	रूपये 610/– प्रति प्रूफ लीटर
	5. रूपये 2001/– से 3000/– तक	रूपये 720/– प्रति प्रूफ लीटर
	6. रूपये 3001/– से 4000/– तक	रूपये 790/– प्रति प्रूफ लीटर
	7. रूपये 4001/– से 6000/– तक	रूपये 830/– प्रति प्रूफ लीटर
	8. रूपये 6001/– से 8000/– तक	रूपये 850/– प्रति प्रूफ लीटर
	9. रूपये 8001/– से 10,000/– तक	रूपये 880/– प्रति प्रूफ लीटर
	10. रूपये 10,001/– और उससे अधिक	रूपये 900/– प्रति प्रूफ लीटर
3.	**बीयर (माल्ट मदिरा)**	**एक्स फैक्ट्री प्राईस पर 125 प्रतिशत की दर से परंतु न्यूनतम ड्यूटी दर रुपए 75/– प्रति बल्क लीटर से कम नहीं होगी**
4.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :–	
	(क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रूपये 30/– प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	रूपये 8/– प्रति बल्क लीटर

9. **फुटकर विक्रय मूल्य** :– शासन द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिए फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। विक्रयकर्ता, निर्धारित किए गए उक्त फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

10. **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय** :–छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के **व्यवस्थापन नियम, 2017 के नियम 10** सहपठित **सी.एस. 2(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 8** एवं **एफ.एल. 1(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 16** में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय **प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक** निर्धारित रहेगा।

11. **शुष्क दिवस :-**

(11.1) वर्तमान वर्ष 2016-17 की भाँति **आगामी वर्ष 2017-18** में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ-साथ एफ.एल. 2, 3, 3क, 4, 4क, 6, 7, 8 एवं 10 को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों पर बंद रखा जावेगा :-

क्रमांक	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1.	2.	3.
1.	26 जनवरी " गणतंत्र दिवस"	1 दिवस
2.	15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस"	1 दिवस
3.	02 अक्टूबर "गांधी जयंती"	1 दिवस
4.	30 जनवरी "महात्मा गांधी निर्वाण दिवस"	1 दिवस
5.	मोहर्रम	1 दिवस
6.	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	1 दिवस
7.	18 दिसम्बर "गुरू घासीदास जयंती"	1 दिवस

(11.2) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार है कि, वे वित्तीय वर्ष के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सुसंगत विधि के प्रावधानों के अधीन दुकान बन्द करने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा/ विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप-चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम हैं।

12. **मदिरा दुकानों के स्थापना के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166/2016 तमिलनाडू राज्य एवं अन्य विरूद्ध के. बालू एवं अन्य में पारित आदेश, दिनांक 15.12. 2016 के परिपालन में :-**

i. राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के समानांतर शराब की बिक्री के लिए लायसेंस नहीं देने के निर्देश हैं।

ii. कंडिका (i) का प्रावधान नगर निगम, शहर, कस्बे या स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर से गुजरने वाले उक्त राजमार्गों पर भी प्रभावशील होगा।

iii. मौजूदा लायसेंस, लायसेंस अवधि समाप्ति तक प्रभावशील रहेंगे। किन्तु 1 अप्रैल, 2017 से कोई नवीन लायसेंस स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

iv. शराब की उपलब्धता के संकेतक और विज्ञापन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोनों ओर निषिद्ध होगा।

शराब बिक्री की कोई दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से, (i) दिखाई न दे (ii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से पहुंच में न हो (iii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से या राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी छोर से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित न हो।

13. **लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टॉक का व्ययन** :- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा के अतिशेष स्टॉक का व्ययन सामान्य लाइसेंस शर्त क्रमांक-25 के अंतर्गत तथा विदेशी मदिरा के अतिशेष का व्ययन छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (6) के अनुसार किया जायेगा।

14. देशी/विदेशी मदिरा की फूटकर दुकानों के व्यवस्थापन, निरीक्षण की समीक्षा एवं अवैध मदिरा पर प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समिति :–

14.1 देशी/विदेशीमदिरा की फूटकर दुकानों के व्यवस्थापन (यथा दुकानों को किराए पर लेना, प्लेसमेंट एजेंसी से कर्मचारी लेना, दुकानों के संचालन के लिए वस्तुओं का क्रय, निरीक्षण की समीक्षा तथा अवैध मदिरा पर प्रभावी रोकथाम आदि) के लिए जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,

(1) जिला कलेक्टर – अध्यक्ष

(2) जिला पुलिस अधीक्षक– सदस्य

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत– सदस्य

(4) जिला मुख्यालय का नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी – सदस्य

(5) अधीक्षण/कार्यपालन अभियंता– सदस्य

(6) जिला कोषालय अधिकारी – सदस्य

(7) सदस्य सचिव – जिला प्रबंधक (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड)

14.2 उक्त समिति द्वारा समस्त फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन तथा समय–समय पर किए गए निरीक्षणों की समीक्षा करेगी।

14.3 समिति के द्वारा मासिक बैठक आयोजित कर मदिरा दुकानों के संचालन की समीक्षा की जाएगी तथा उससे सम्बंधित प्रतिवेदन आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ एवं प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रेषित की जाएगी।

14.4 उक्त समिति के अधीन दुकानों को किराए पर लिए जाने के लिए तथा दुकानों के संचालन के लिए पर्यवेक्षक/विक्रयकर्ता के चयन के लिए उपसमिति गठित की जाती है। उपसमिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी/एडिशनल कलेक्टर – अध्यक्ष

(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक –सदस्य

(3) पुलिस उपअधीक्षक (यातायात) –सदस्य

(4) कार्यपालन अभियंता (पी.डब्लू.डी.)– सदस्य

(5) जिला कोषालय अधिकारी– सदस्य

(6) जिला रोजगार अधिकारी – सदस्य

(7) श्रम अधिकारी –सदस्य

(8) जिला महिला एवं महिला बाल विकास अधिकारी – सदस्य

(9) जिला प्रबंधक (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड) –सदस्य

15. **निरसन** :– इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम को उनके प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतदद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरस्तीकरण होते हुए भी कोई आदेश या कार्यवाही जो देशी/विदेशी मदिरा दुकान या दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पहले से की गई हो, विधि मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

प्रारूप
सी.एस.–2 (घघ)
नियम 3 (ख)

देशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये परिसर में उपभोग हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या .... वर्ष .... स्थान ....जिला – ....

वार्षिक लायसेंस फीस रूपये (अंको में) 10,000/– रूपये (अक्षरों में) दस हजार देशी मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति फीस, एक मुश्त पटाये जाने उपरान्त यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ।

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर ....

दक्षिण ....

पूर्व ....

पश्चिम ....

लायसेंसधारी का नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री .... आ. .... नि. ....

पर्यवेक्षक एवं विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री .... आ. .... नि. ....
2. श्री .... आ. .... नि. ....
3. श्री .... आ. .... नि. ....
4. श्री .... आ. .... नि. ....

देशी मदिरा की मसाला 25.0 यू.पी. सादी 50.0 यू.पी. तथा रासी 60.0 यू.पी. की मानक बोतल (750 मि.ली.) अद्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) के फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... (स्थान) .... तहसील के लिए दिनांक 01 अप्रैल ..... से 31 मार्च .... हेतु जिसके लिए नियम–6 के अनुसार लायसेंस फीस एक मुश्त जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

सामान्य और विशेष शर्तें

1. देशी मदिरा के लिये निर्धारित ड्यूटी राशि का भुगतान कर देशी मदिरा का उठान संबंधित जिले के **भण्डारण के भाण्डागार** से किया जा सकेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा की कीमत (प्रदाय कर) का, जिसमें समय–समय पर उद्ग्रहणीय समस्त कर सम्मिलित है, पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् देशी मदिरा जिले के प्रदायकर्ता से देशी मदिरा का प्रदाय अभिप्राप्त कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी जिसे वह देशी मदिरा प्रदाय करना चाहता है, अग्रिम में मांग पत्र देगा। ऐसा प्रदायकर्ता जिसे मांगपत्र दिया गया हो, यथासंभव शीघ्र देशी मदिरा का प्रदाय करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को सूचना देगा, जो ऐसा मांगपत्र प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र मदिरा को प्रदाय के लिए व्यवस्था करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी शासन द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।
4. परिसर पर उपभोग के लिये मुहर–बंद बोतलों में देशी मदिरा की बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक भाग अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल परिसर में उपभोग के लिये अनुमति होगी। परिसर मे उपभोग के लिये खुली हुई मदिरा नहीं परोसी जायेगी।
5. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी मदिरा की बिक्री मुहरबंद बोतलों बोतल, अद्धा, पाव में बिक्री की जायेगी और जिन पर आबकारी आयुक्त द्वारा सुरक्षा होलोग्राम, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में लगे हुए होंगे।
6. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी को देशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लायसेंस मंजूर किया गया है, **परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

8. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों **11:00 बजे सुबह से 9:00** बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लायसेंस परिसर में ही करेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में बैठने की युक्तियुक्त व्यवस्था करेगा, जैसा बेंचों की पर्याप्त संख्या, तख्तों, कुर्सियों तथा टेबिल आदि।

11. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नही करेगा जो **21 वर्ष** से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।

12. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक देशी मदिरा नही बेचेगा।

13. किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नही की जायेगी, जो **21 वर्ष** से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।

14. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलों, सुरक्षा होलोग्राम/चोरीरोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

15. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नही रखेगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फीट के भीतर जहां विक्रय के लिए देशी मदिरा भण्डारित की गई है, पानी का रखना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

17. अनुज्ञप्तिधारी परिसर की समुचित देख–रेख और सफाई के लिए, उसमें नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।

18. परिसर के भीतर प्रयोग किए गए सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए विशेषतः निर्मित खाली या इस प्रयोजनार्थ रखे गये ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय हेतु विक्रय के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।

18.(क) पर्यावरण एवं साफ–सफाई को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा दुकान के अहाता में डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।

19. अनुज्ञप्तिधारी/विक्रेता और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग, आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।

20. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीद्दारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

21. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अंतर्गत निपटारा किया जायेगा।

22. अनुज्ञप्तिधारी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2क एवं 2ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्हीं विशेष शर्तों/आदेशों/निर्देशों से आबद्धकर होगा।

तारीख : ....

जिला : ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्रारूप

एफ.एल. –1 (घघ)

नियम 3 (ख)

विदेशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलो में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या .... वर्ष .... स्थान ....जिला – ....
वार्षिक लायसेंस फीस रूपये (अंको में) 10,000/– रूपये (अक्षरों में) दस हजार विदेशी मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति फीस एक मुश्त पटाई जाने पर अनुज्ञप्ति जारी।

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर ....

दक्षिण ....

पूर्व ....

पश्चिम ....

लायसेंसधारी का नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री .... आ. .... नि. ....

विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री .... आ. .... नि. ....
2. श्री .... आ. .... नि. ....
3. श्री .... आ. .... नि. ....
4. श्री .... आ. .... नि. ....

परिसर से बाहर उपयोग के लिये मानक बोतल (750 मि.ली.) अद्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) की फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... (स्थान) .... तहसील के लिए दिनांक 01 अप्रैल .... से 31 मार्च .... हेतु जिसके लिए नियम–6 के अनुसार लायसेंस फीस एकमुश्त जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

सामान्य और विशेष शर्ते

1. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से समस्त करों, शुल्क, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए, मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन को विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की कीमत (प्रदाय दर) का भुगतान ऑन–लाईन माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

1–क अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा दुकान की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस एक मुश्त जमा किया करेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी शासन द्वारा नियम, 9 के अन्तर्गत निर्धारित फुटकर मूल्य से कम मूल्य अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नही लेगा।

3. अनुज्ञप्ति परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी, कोई भी मदिरा परिसर पर उपभोग नही की जायेगी।

4. किसी भी व्यक्ति को 180 मि.ली. के पाव से कम मात्रा की बिक्री नही की जायेगी। 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नही की जायेगी।

5. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबंद बोतलों अर्थात बोतल, अद्धा, पाव में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान प्रमाण के रूप में सुरक्षा होलोग्राम लगे हुए होगें।

6. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब नामपत्र वार **(लेबल वाईज)** रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के संपूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल अनुज्ञप्त परिसर में ही करेगा।

(7–क) केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण के लिए दुकान में अनुमोदित परिसर में पर्याप्त स्थान न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक

जॉचोपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के अनुमोदित परिसर से 100 मीटर की परिधि में स्थित गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण हेतु अनुज्ञा दे सकेगा। ऐसे गोदाम का, जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, विवरण अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि किया जाएगा।

(7–ख) यदि शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी को शर्त क्रमांक 7–क के अधीन अनुमोदित दुकान परिसर के साथ–साथ किसी गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण की अनुज्ञा दी गई हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भण्डारित समस्त विदेशी मदिरा का नामपत्र वार (लेबल वाईज) दिन प्रतिदिन का सही हिसाब रखेगा। विदेशी मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन, प्राधिकृत अधिकारी, जो आबकारी उप–निरीक्षक के पद से भिन्न पद श्रेणी का न हो, द्वारा जारी किये गये पास के द्वारा किया जाएगा। गोदाम तथा दुकान के बीच विदेशी मदिरा के अंतरण को दुकान तथा गोदाम में रखी गई स्टॉक–पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का गोदाम से विक्रय नहीं करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के विक्रय काउंटर पर विदेशी मदिरा की वर्तमान निर्धारित फुटकर विक्रय दरें प्रदर्शित करते हुए एक सहज दृश्य मूल्य तालिका प्रदर्शित करेगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।

10. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा नही बेचेगा।

11. किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नही की जायेगी, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।

12. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबलो, सुरक्षा होलोग्राम/चोरीरोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

13. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नही रखेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी/विक्रेता और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग, आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।

15. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खदीद्दारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

16. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनो 11:00 बजे सुबह से 9:00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

17. विदेशी मदिरा को छोड़कर जिसके लिए की लायसेंस दिया गया है, अनुज्ञप्तिधारी को लायसेंस परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नही दी जायेगी।

18. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अन्तर्गत निपटारा किया जायेगा।

19. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए एफ.एल. 2, एफ.एल. 3, एफ.एल.3(क) एफ.एल. 4, एफ.एल. 4 (क) अथवा एफ.एल. 5 अनुज्ञप्तिधारी को भी विदेशी मदिरा विक्रय करेगा। किन्तु विदेशी मदिरा एफ. एल. 1(घघ) फुटकर दुकान से एफ.एल.3 एफ. एल.3(क), एफ.एल. 4 एवं एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए लैंडिग प्राईज रुपये ..../– प्रतिपेटी तक के विदेशी मदिरा स्प्रिट का परिवहन वर्ष 2017–18 हेतु प्रतिषिद्ध रहेगा।

20. अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2 क एवं 2 ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्हीं शर्तो/आदेशों/निर्देशों से आबद्ध कर होगा।

तारीख : ....

जिला : ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप

एफ.एल.1ख

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा, 1996 के नियम 8 के उप–नियम (1) के खण्ड (ककक) के अधीन और विहित की गई दर से अहाता लायसेंस फीस के प्रतिकूल में, जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, श्री .... जो .... के लिए एफ.एल.1घ अनुज्ञप्ति के धारक है, को नीचे दी गई अनुसूची–1 में वर्णित अहाते में दिनांक .... से .... तक विदेशी मदिरा का उपयोग मंजूर करने के लिए, नीचे दी गई शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाता है :–

शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुसूची–1 में वर्णित अहाते में विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट सलि में परिवर्तन नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में केवल उसी विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि .... स्थित उसकी अनुज्ञात दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।

(4) अनुज्ञप्तिधारक, देशी मदिरा या मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में न तो विदेशी मदिरा का स्टॉक ही करेगा और न ही विक्रय करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं कोयुक्तियुक्त सुविधाएँ यथा–खानपान, एयरकूल्ड/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएँ प्रदान करेगा, किन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।

(6)(क) पर्यावरण एवं साफ–सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।

(7) उस दशा में जब एफ.एल. 1(घघ) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।

(8) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची–2 में वर्णित दिवसों पर अहाता बंद रखेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तो द्वारा आबद्ध होगा।

(10) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किस आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

तारीख .... कलेक्टर

जिला–.......................

परिशिष्ट–01

आवेदन पत्र
(कृपया नियम 7 देखे)

1.

आवेदन का प्रकार	व्यक्तिगत / फर्म / एच.यू.एफ / कंपनी

2.

आवेदक का आयकर विभाग का पेन(सी.एस.एम.सी. एल.)	

3. सी.एस.एम.सी.एल.काटिन(टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर)

4. वर्ष 2017–18 के लिए जिला ....की देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्रः–

क्रं.	दुकान का नाम

5. (अ) फर्म का नाम :– ....

6. पता (अ) स्थाई निवास का पता :– ....

(i) पिन कोड :– ....

(ii) टेलीफोन नं. :– ....

(iii) मोबाईल नं. :– ....

(iv) ई.मेल आई.डी. :– ....

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :– ....

(i) पिन कोड :– ....

(ii) टेलीफोन नं. :– ....

(iii) मोबाईल नं. :– ....

(iv) ई.मेल आई.डी. :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.